NJESR/October-2025/Volume-7/Issue-10 E-ISSN-2582-5836

DOI-10.53571/NJESR.2025.7.10.20-31

भारत सरकार द्वारा राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए जारी/उपलब्ध की गई निधियों/फण्डो की राशि का चरण अनुसार विश्लेषण

डॉ. लक्ष्मण परवाल,प्राध्यापक वाणिज्य संकाय,

स्वामी विवेकानंद शासकीय वाणिज्य महाविद्यालय रतलाम (म.प्र.)

(Received-15September2025/Revised-25 September2025/Accepted-10October2025/Published-30October2025)

---

1. प्रस्तावना :

सड़कें विकास का आधार होती है। सड़क के बिना विकास किसी भी क्षेत्र में नहीं हो सकता है। सड़कें ही वह पूल है, जो गाँवों को शहरों से जोड़ती है। गाँवों की समृद्धि व विकास शहरों पर निर्भर है, क्योंकि सभी प्रकार के उत्पादनों की खपत के साधन शहरों में होते है। अतः यह कहाँ जा सकता है कि विकास का मार्ग शहरों से होकर गाँवों की ओर आता है। शहरों के सम्पर्क से गाँव देश से जुड़ता है और इस प्रकार से विकास की अनेक धाराओं से उसका परिचय भी होता है। यहीं परिचय गाँवों को विकासोन्मुखी बनाता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के साधनों से उसका रिश्ता जुड़ता है। बिना सड़क, बिजली, टेलीफोन और आवागमन के साधनों की कल्पना नहीं की जा सकती है। अतः यह कहाँ जा सकता है कि ग्रामों की शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक उन्नति में सड़कों की केन्द्रीय भूमिका होती है।

भारत गाँवों का देश है। भारत में कुल 06 लाख 59 हजार 631 गाँव है। देश का आर्थिक विकास ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर आधारित है। उचित ग्रामीण सड़क सम्पर्क के अभाव के कारण विकास के मुख्य कारकों तक ग्रामीण आबादी की पहुँच बहुत सीमित है। ग्रामीण सड़कें न केवल ग्रामीणों को भौतिक सड़क सम्पर्क उपलब्ध कराती है, बल्कि आर्थिक विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास के अन्य साधनों तक पहुँच बढ़ाकर अपार संभावनाएँ भी उपलब्ध कराती है। अतः ग्रामीण सड़क सम्पर्क स्थायी रूप से गरीबी उपशमन तथा

Created by Universal Document Converter

आर्थिक वृद्धि और विकास की मुख्य धारा में ग्रामीण क्षेत्रों का समन्वित विकास सुनिश्चित करने का एक अहम साधन है।

भारत सरकार ने गरीबी उपशमन कार्यनीति के अन्तर्गत राज्यो की सहायता करने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में 25 दिसम्बर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (प्रथम चरण) की शुरूआत की। इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों से नहीं जुडी हुई पात्र बसावटों को पूरे वर्ष चालु रहने वाले आवश्यक पुल और आर-पार निकासी संरचनाओं के साथ बारहमासी सड़क सुविधा के जरिए सड़क सम्पर्क उपलब्ध कराना है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भारत में ग्रामों की तस्वीर बदलने में सहायक सिद्ध हुई है। इस योजना से जुड़कर ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को एक नया आयाम मिला है।

2. अध्ययन का क्षेत्र एवं अवधि :

प्रस्तुत शोध कार्य भारत के सभी राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीनो चरणों में भारत सरकार द्वारा जारी की गई निधियों/ फण्डो की उपलब्धता से संबंधित है । प्रस्तुत शोध पत्र में वर्ष 2000 से वर्ष 2024 तक कुल 24 वर्षो में प्रथम, द्वितीय व तृतीय चरणों में ग्रामीण क्षेत्रों में निर्मित सड़कों व पूलों पर किये गये व्ययों का वर्षवार, चरणवार एवं राज्यवार विश्लेषण करने का प्रयास शोधकर्ता द्वारा किया गया है ।

3. शोध प्रणाली :

यह शोध कार्य द्वितीयक समंकों पर आधारित है जो भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय एवं इस योजना की नोडल एजेंसी- राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी की वेबसाईट पर प्रदर्शित वार्षिक रिपोर्टो से संग्रहित किये गये है । प्रस्तुत अध्ययन में लगभग 24 वर्षो के समंकों का तुलनात्मक विश्लेषण वर्षवार, चरणवार एवं राज्यवार के आधार पर किया गया है जिसमें औसत, प्रतिशत, अनुपात, रेखाचित्र व दण्डचित्र जैसी सांख्यिकीय एवं गणितीय विधियों का प्रयोग कर अपेक्षित निष्कर्ष निकाले गये है ।

4. शोध के उद्देश्य :

Created by Universal Document Converter

प्रस्तुत शोध कार्य में भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के समावेशी विकास में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को जारी की गई निधियों का चरण अनुसार व वर्षानुसार वर्णन किया गया है। वस्तुतः यह अध्ययन निम्न उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया गया हैः

- प्रथम चरण (दिसम्बर 2000 से मार्च 2013 तक) में देश के सभी राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों को जारी की गई कुल निधि का पता लगाना।
- द्वितीय चरण (वर्ष 2013-14 से वर्ष 2019-20 तक) में देश के सभी राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों को जारी की गई कुल निधि का पता लगाना।
- तृतीय चरण (वर्ष 2020-21 से दिसम्बर 2024) में देश के सभी राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों को जारी की गई कुल निधि का पता लगाना।
- तीनों चरणों में जारी की गई कुल निधि का तुलनात्मक अध्ययन करना तथा यह ज्ञात करना की तीनों चरणों में निधियों की प्रवाह कितना रहा है।

5. विश्लेषणात्मक विवेचना -

(अ) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के प्रथम चरण में भारत सरकार द्वारा राज्यों को जारी की गई निधियों का वर्षवार विश्लेषण

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के प्रथम चरण (दिसम्बर 2000 से मार्च 2013 तक) में भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में बसावटों को बारहमासी सड़क सम्पर्क की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्यों एवं संघ शासित राज्यों को निधियां उपलब्ध कराई जाती है । भारत सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय वार्षिक बजट में प्रावधान करके तथा विभिन्न राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से ऋण के रूप में राशि उधार लेकर राज्यों को निधियों के रूप में जारी करता है ।

शोधकर्ता द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के प्रथम चरण में भारत सरकार द्वारा राज्यों को जारी की गई निधियों का वर्षवार विश्लेषण तालिका क्र. 1 में किया गया है जो इस प्रकार हैः –

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (प्रथम चरण)

तालिका क्र. 1

राज्यों को उपलब्ध/जारी की गई निधियों का वर्षवार विवरण (राशि: करोड़ रु. में)

स.क्र.	वर्ष	कार्यक्रमों के लिये जारी निधि	नाबार्ड से सहायता के तहत जारी निधि	एडीबी सहायता के तहत जारी निधि	विश्वबैंक सहायता के तहत जारी निधि	प्रशासनिक कार्यो के लिये जारी निधि	कुल जारी निधि
01	2000-01	2,435.00	--	--	--	--	2,435.00

Created by Universal Document Converter

02	2001-02	2,492.85	--	--	--	07.15	2,500.00
03	2002-03	2,496.87	--	--	--	03.13	2,500.00
04	2003-04	2,298.94	--	--	--	26.06	2,325.00
05	2004-05	2,110.65	--	93.45	220.00	36.61	2,460.71
06	2005-06	3,769.97	--	192.50	218.00	39.51	4,219.98
07	2006-07	4,423.65	--	1,000.00	750.00	99.95	6,273.60
08	2007-08	3,833.87	4,500.00	1,950.00	650.00	66.14	11,000.02
09	2008-09	5,379.50	7,500.00	2,000.00	250.00	150.58	15,280.08
10	2009-10	10,389.97	6,500.00	800.00	10.00	140.03	17,840.00
11	2010-11	21,325.13	--	800.00	90.00	184.67	22,399.80
12	2011-12	17,006.90	--	1,400.00	811.00	123.99	19,341.89
13	2012-13	3,272.08	--	425.00	575.00	4,611.89	8,883.97
	योग	**81,235.38**	**18,500.00**	**8,660.96**	**3,574.00**	**5,489.71**	**1,17,460.05**
	प्रतिशत	**69.17**	**15.75**	**07.37**	**03.04**	**04.67**	**100.00**

स्रोत:- वार्षिक रिपोर्ट, 2024-25, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, पृष्ठ क्रमांक 401

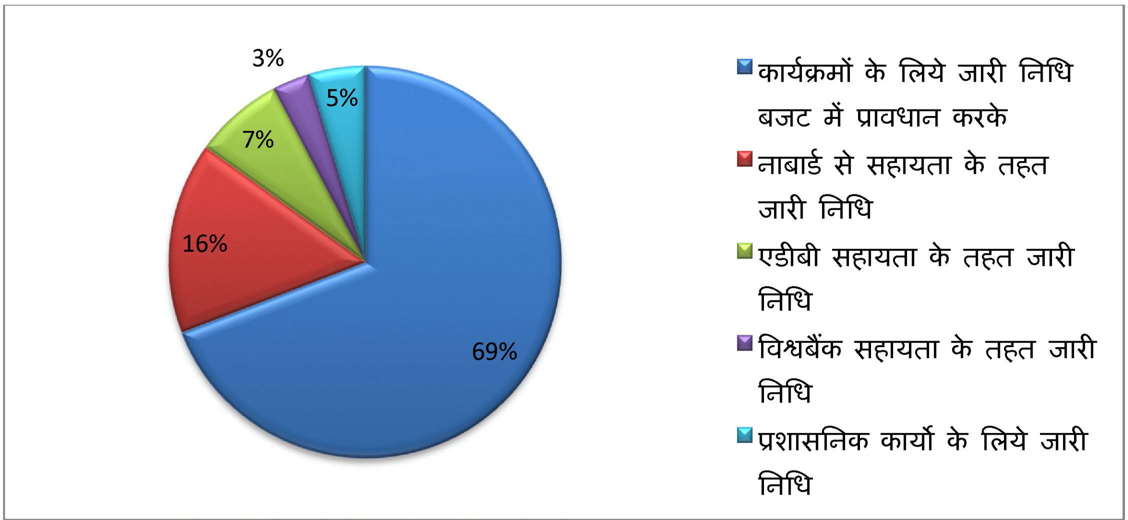

उपर्युक्त तालिका एवं चित्र से स्पष्ट होता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के प्रथम चरण में वर्ष 2000-01 से लेकर वर्ष 2012-13 तक इन 13 वर्षों में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कुल 1,17,460.06 करोड़ रु. निधियों के रूप में राज्यों की सरकारों को जारी किये गये है। इसमें से 69.17 प्रतिशत निधि वार्षिक बजट में प्रावधान करके, 15.75 प्रतिशत निधि नाबार्ड से ऋण सहायता के रूप में उधार लेकर 07.37 प्रतिशत निधि एशियाई विकास बैंक से ऋण सहायता के रूप में लेकर, 03.04 प्रतिशत

Created by Universal Document Converter

निधि वर्ल्ड बैंक से ऋण सहायता के रूप में लेकर तथा 4.67 प्रतिशत निधि प्रशासनिक कार्यों के लिए राज्यों को जारी की गई है।

योजनान्तर्गत वर्ष 2010-11 में सबसे अधिक 22339.80 करोड़ रू. निधि के रूप में राज्यों को जारी किये गये। इसके पश्चात वर्ष 2011-12, 2009-10, 2008-09, 2007-08 में क्रमशः19341.89 करोड़ रु.,17,840 करोड़ रु.15,280.08 करोड़ रु. तथा 11,000.02 करोड़ रू. निधि के रूप में जारी किये गये है। योजना के प्रारम्भ के 05 वर्षों में औसत रूप से प्रतिवर्ष 2,500 करोड़ रू. निधि के रूप में जारी किये गये। प्रथम चरण के 13 वर्षों में से मात्र 03 वर्षो (2007-08, 2008-09 एवं 2009-10) में नाबार्ड से कुल 18,500 करोड़ रु. ऋण सहायता के रूप में उधार लेकर राज्यों को निधि के रूप में जारी किये गये। इसी प्रकार प्रारम्भ के 04 वर्षों को छोड़कर शेष 09 वर्षों में प्रतिवर्ष एशियाई विकास बैंक और विश्व बैंक से राशि ऋण सहायता के रूप में लेकर राज्यों को निधि के रूप में जारी की गई। कुल 8660.96 करोड़ रु. एशियाई विकास बैंक से तथा 3,574.00 करोड़ रू. विश्व बैंक से ऋण सहायता के रूप में लिया गया है। प्रशासनिक कार्यों के लिए इन 13 वर्षों में कुल 5489.71 करोड़ रूपये जारी किये गये है।

(ब) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के द्वितीय चरण में भारत सरकार द्वारा राज्यों को जारी की गई निधियों का वर्षवार विश्लेषण:-

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के द्वितीय चरण में (वर्ष 2013-14 से वर्ष 2019-20 तक) भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ग्रामीण क्षेत्रों में बारहमासी सड़कों से वंचित रह गई बसावटों को सड़क सम्पर्क से जोड़ने हेतु निधियों की उपलब्धता निम्न प्रकार से की हैं।

शोधकर्ता द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के द्वितीय चरण में भारत सरकार द्वारा राज्यों को जारी की गई निधियों का वर्षवार विश्लेषण तालिका क्रमांक **2** में किया है, जो इस प्रकार है:-

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (द्वितीय चरण)

तालिका क्रमांक 2

राज्यों को जारी की गई निधियों का वर्षवार विवरण (राशि: करोड़ रू. में)

Created by Universal Document Converter

क्र.	वर्ष	वार्षिक बजट में प्रावधान करके कार्यक्रमों के लिये जारी निधि	ए.डी.बी. सहायता के तहत जारी निधि	विश्व बैंक सहायता के तहत जारी निधि	प्रशासनिक कार्यो के लिये जारी निधि	कुल जारी निधि
1	2013-14	8,945.23	20.01	661.16	178.89	9,805.29
2	2014-15	10,654.09	1,182.00	2,257.16	95	14,188.25
3	2015-16	14,260.59	1,641.61	2,309.92	77.76	18,289.88
4	2016-17	13,497.98	1,686.09	2,583.87	146.6	17,914.54
5	2017-18	14,716.81	1,501.00	502.5	141.76	16,862.07
6	2018-19	12,214.04	1,570.70	1,432.09	200.72	15,417.55
7	2019-20	10,889.02	1,503.25	1,507.22	118	14,017.49
	योग	85,177.76	9,104.66	11,253.92	958.73	1,06,495.07
	प्रतिशत	79.98	8.55	10.57	0.90	100.00

स्रोत - वार्षिक रिपोर्ट - 2024-25, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, पृष्ठ क्र. 401

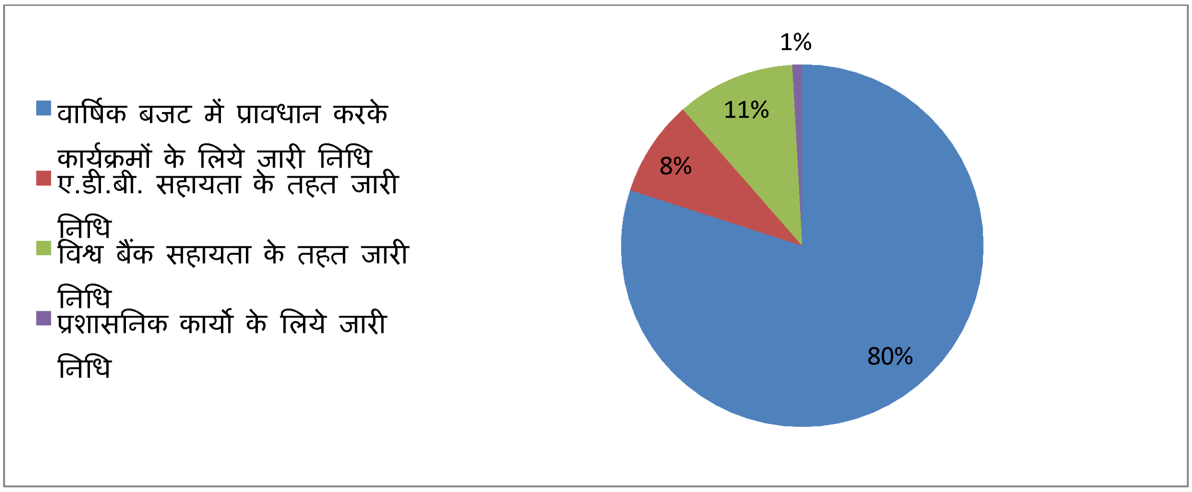

उपर्युक्त तालिका एवं चित्र से स्पष्ट होता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के द्वितीय चरण (वर्ष 2013-14 से लेकर वर्ष 2019-20 तक) के 07 वर्षों में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कुल 1,06,495.07 करोड़ रू. निधियों के रूप में राज्यों की सरकारों को जारी किए गए है। इसमें से 79.98 प्रतिशत निधि वार्षिक बजट मे प्रावधान करके, 10.57 प्रतिशत निधि वर्ल्ड बैंक से ऋण सहायता के रूप में प्राप्त करके 08.55 प्रतिशत निधि एशियाई विकास बैंक से ऋण सहायता के रूप में प्राप्त करके तथा 0.90 प्रतिशत निधि प्रशासनिक व्ययों के लिए राज्यों को जारी की गयी है।

Created by Universal Document Converter

योजनान्तर्गत वर्ष 2015-16 में सबसे अधिक 18,289.88 करोड़ रु. निधि के रूप में राज्यों को जारी किये गये। इसके पश्चात् वर्ष 2016-17 में 17,914.54 करोड़ रु., वर्ष 2017-18 में 16,862.07 करोड़ रु., वर्ष 2018-19 में 15,417.55 करोड़ रु., वर्ष 2014-15 में 14,188.25 करोड़ रु., वर्ष 2019-20 में 14,017.49 करोड़ रु. तथा वर्ष 2013-14 में सबसे कम 9,805.29 करोड़ रू. निधि के रूप में राज्य सरकारों को जारी किये गये हैं।

द्वितीय चरण में कार्यक्रमों के लिए जो निधि राज्य सरकारों को जारी की गई वह 85,177.76 करोड़ रु. थी। विश्व बैंक तथा एशियाई विकास बैंक से ऋण सहायता के रूप में क्रमशः 11,253.92 करोड़ रु. तथा 9,104.66 करोड़ रु. प्राप्त करके निधि के रूप में राज्यों को जारी किये गये। प्रशासनिक कार्यों के लिए मात्र 958.73 करोड़ रु. जारी किये गये है।

(स) तृतीय चरण में भारत सरकार द्वारा राज्यों को उपलब्ध कराई गई निधियों (फण्डों) का वर्षवार विश्लेषण :

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तृतीय चरण में (वर्ष 2020-21 से दिसम्बर 2024 तक) भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ग्रामीण क्षेत्रों में बारहमासी सड़कों से वंचित रह गई बसावटों को नई सड़क सम्पर्क उपलब्ध कराने, विद्यमान सड़कों को उन्नयन करने या मरम्मत करके सुधार करने हेतु निधियों की उपलब्धता निम्न प्रकार से की हैं:-

शोधकर्ता द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तृतीय चरण में भारत सरकार द्वारा राज्यों को जारी की गई निधियों का वर्षवार विश्लेषण तालिका क्रमांक **3** में किया है, जो इस प्रकार है:-

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (तृतीय चरण)

तालिका क्रमांक 3

राज्यों को जारी की गई निधियों का वर्षवार विश्लेषण (राशि: करोड़ रू. में)

वर्ष	वार्षिक बजट में प्रावधान करके कार्यक्रमों के लिये जारी निधि	एडीबी सहायता के तहत जारी निधि	विश्व बैंक सहायता के तहत जारी निधि	पीएम जनमन योजना के तहत जारी निधि	प्रशासनिक कार्यो के लिये जारी निधि	कुल जारी निधि

Created by Universal Document Converter

2020-21	12,610.38	02.00	1,014.86	-	67.75	13,694.99
2021-22	13,399.70	10.75	500.00	-	83.47	13,993.92
2022-23	18,846.96	09.41	-	-	139.84	18,996.21
2023-24	13,656.21	-	-	232.76	118.31	14,007.28
2024-25 (31-12-2024 तक)	6,633.71	-	-	32.65	52.27	6,718.63
योग	**65,146.96**	**22.16**	**1,514.86**	**265.41**	**461.64**	**67,411.03**
प्रतिशत	**96.65%**	**0.03%**	**02.25%**	**0.39%**	**0.68%**	**100.00%**

स्रोत :- वार्षिक रिपोर्ट-2024-25, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार पृष्ठ क्रमांक 401

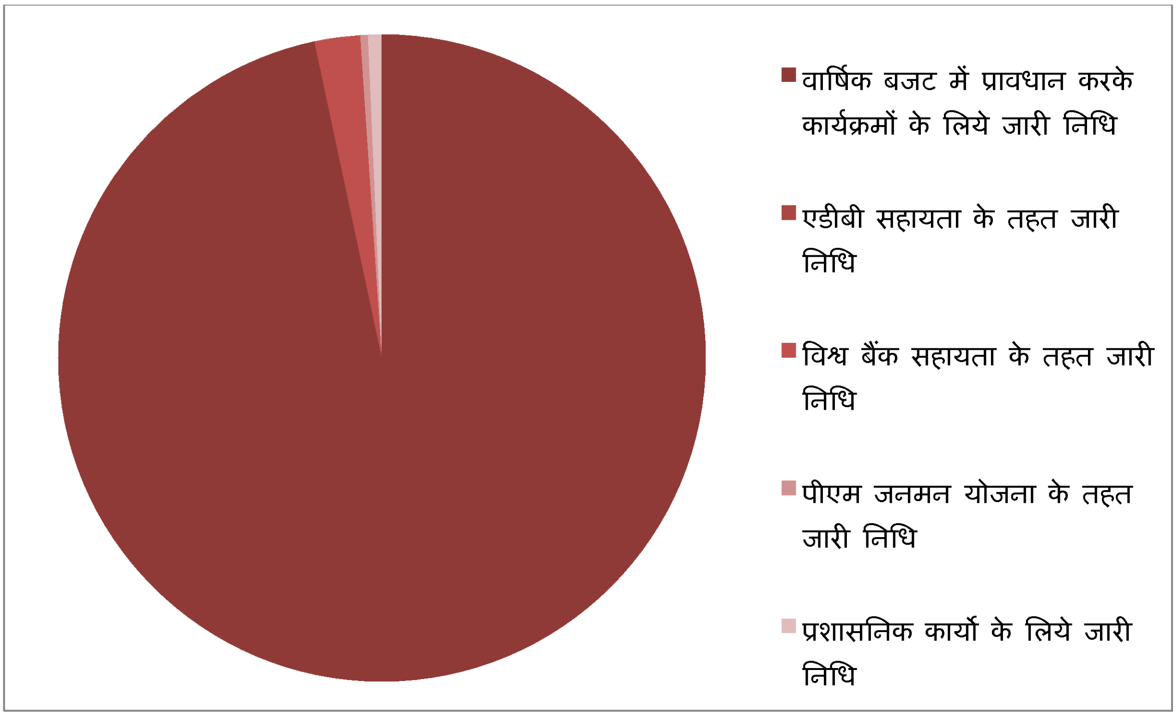

उपर्युक्त तालिका एवं चित्र से स्पष्ट होता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तृतीय चरण के (वर्ष 2020-21 से दिसंबर 2024 तक) इन 05 वर्षों में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कुल 67,411.03 करोड़ रु. निधियों के रूप में राज्यों की सरकारों को जारी किये गये हैं। इसमें से 96.65% निधि वार्षिक बजट में प्रावधान करके, शेष 03.35%, निधि एशियाई विकास बैंक से ऋण सहायता के रूप में, विश्व बैंक से ऋण

Created by Universal Document Converter

सहायता के रूप में, पीएम जनमन योजना के माध्यम से तथा प्रशासनिक व्ययों के लिए राज्यों को जारी की गई है।

योजनान्तर्गत वर्ष 2022-23 में सबसे अधिक 18,996.21 करोड़ रु. निधि के रूप में राज्यों को जारी किये गये। इसके पश्चात् वर्ष 2023-24 में 14,007.28 करोड़ रु., वर्ष 2021-22 में 13,993.92 करोड़ रु. व वर्ष 2020-21 में 13,694.99 करोड़ रु. तथा वर्ष 2024-25 में 31 दिसंबर 2024 तक सबसे कम राशि 6,718.63 करोड़ रु. निधि के रूप में राज्य सरकारों को जारी किये गये है।

(द) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीनों चरणों में भारत सरकार द्वारा राज्यों को जारी की गई निधियों का चरण अनुसार विश्लेषण -

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीनों चरणों (दिसम्बर 2000 से दिसम्बर 2024 तक) में भारत सरकार द्वारा राज्यों एवं संघ शासित राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में बसावटों (बस्तियों) को बारहमासी सड़क सम्पर्क की उपलब्धता प्रदान कराने के लिए निधियाँ/ फण्डों की व्यवस्था की जाती है। भारत सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय प्रतिवर्ष वार्षिक बजट में प्रावधान करके तथा विभिन्न राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से ऋण के रूप में राशि उधार लेकर भी राज्यों को निधि के रूप में जारी करता है।

योजना के प्रथम चरण से ही भारत सरकार द्वारा इस योजना के सुचारू संचालन एवं फण्ड की उपलब्धता हेतु हाईस्पीड डीजल पर उपकर लगाकर प्राप्त राशि से बजट में आवश्यक राशि का प्रबन्ध करके राज्यों / संघों को निधि की उपलब्धता कराई जा रही है। सरकार द्वारा नाबार्ड, एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक से ऋण सहायता के रूप में राशि प्राप्त करके तथा अन्य योजनाओं के माध्यम से भी योजनान्तर्गत निधियों की उपलब्धता को सुगम बनाने का कार्य किया जाता रहा है।

संयुक्त रूप से तीनों चरणों में राज्यों को उपलब्ध/ जारी की गई निधियों का समग्र विश्लेषण शोधकर्ता द्वारा तालिका क्र. 4 में किया गया है। जो इस प्रकार है:-

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY)

तालिका क्र 4

तीनों चरणों में राज्यों को उपलब्ध / जारी की गई निधियो का चरण अनुसार (राशि : करोड़ रू. में)

Created by Universal Document Converter

स. क्र.	चरण	बजट में प्रावधान करके कार्यक्रमों के लिए जारी निधि	प्रशासनिक कार्यो के लिए जारी निधि	नाबार्ड से ऋण सहायता के तहत जारी निधि	एशियाई विकास बैंक से ऋण सहायता के तहत जारी निधि	विश्व बैंक ऋण सहाय के तहत ज निधि
1	प्रथम चरण (वर्ष 2000 से 2012-13 तक)	81,235.38	5,489.71	18,500.00	8,660.96	3,5
2	द्वितीय चरण (वर्ष 2013-14 से 2019-20 तक)	85,177.76	958.73	-	9,104.66	11,253
3	तृतीय चरण (वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक)	65,146.96	461.64	-	22.16	1,514
	योग	**2,31,560.10**	**6,910.08**	**18,500.00**	**17,787.78**	**16,342.**
	प्रतिशत	**79.47%**	**02.37%**	**06.35%**	**06.11%**	**05.61**

स्रोत: वार्षिक रिपोर्ट- 2024-25, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार पृ.क्र. 401

तालिका क्र. 4 का चित्र

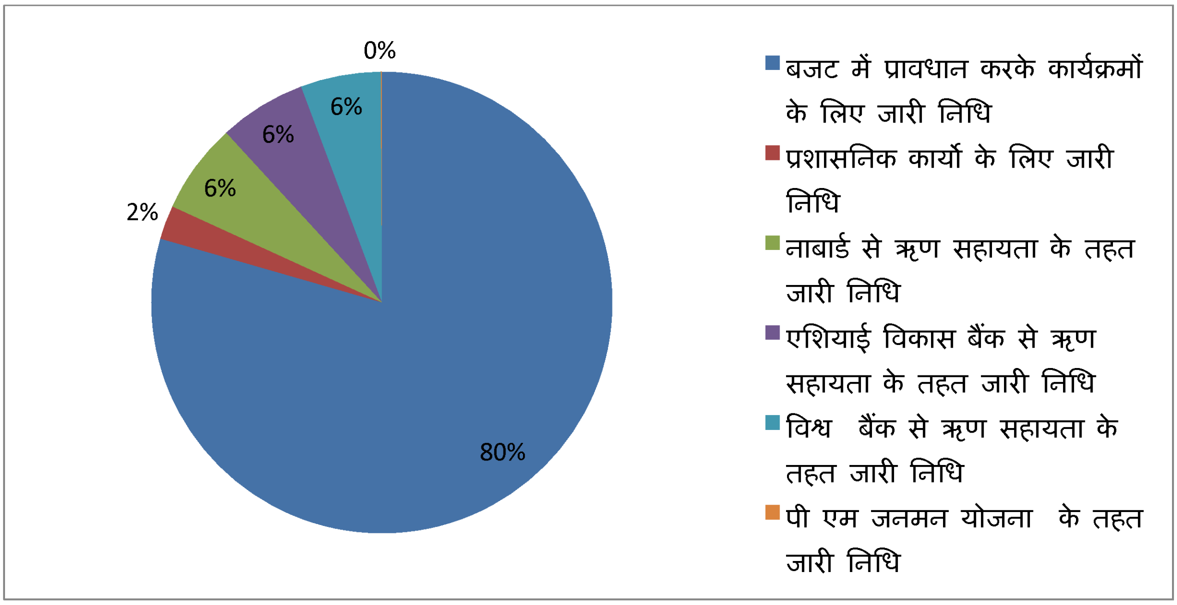

Created by Universal Document Converter

उपर्युक्त तालिका एवं चित्र से स्पष्ट होता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीनों चरणों में (वर्ष 2000 से वर्ष 2024 तक) इन 24 वर्षों में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा देश के सभी राज्यों एवं संघ राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों की बसावटों को बारहमासी सड़क सम्पर्क की सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से योजनान्तर्गत कुल 2,91,366.15 करोड़ रु. निधियों के रूप राज्यों की सरकारों व प्रशासन तंत्र को जारी किये गये हैं। इसमें से 79.47% निधि बजट में प्रावधान करके 02.37% निधि प्रशासनिक व्ययों के लिए, 06.35% निधि नाबार्ड से ऋण सहायता के रूप में प्राप्त करके, 06.11%. निधि एशियाई विकास बैंक से ऋण सहायता के रूप में प्राप्त करके 05.61% निधि विश्व बैंक से ऋण सहायता के रूप में प्राप्त करके तथा 0.09%. निधि पी. एम. जनमन योजना के तहत जारी करके राज्य सरकारों एवं संघ राज्यों को उपलब्ध कराई गई है।

योजना के तीनों चरणों में से सबसे अधिक निधि प्रथम चरण (वर्ष 2000 से वर्ष 2013 तक) में जारी की गई जो 1,17,460.05 करोड़ रु. थी। इसके पश्चात् द्वितीय चरण (वर्ष 2013-14 से वर्ष 2019-20) में 1,06,495.07 करोड़ रू. निधि के रूप में राज्यों को उपलब्ध करवाये गये। सबसे कम निधि तृतीय चरण वर्ष 2020-21 से दिसम्बर 2024 तक) में राज्यों को जारी की गई जो 67,411.03 करोड़ रु. थी।

निष्कर्ष :

- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के प्रथम चरण में निधि के रूप में राज्यों को उपलब्ध कराई गई राशि के प्रत्येक 100 रु. में से 69 रु. बजट में प्रावधान करके, 16 रू. नाबार्ड से ऋण सहायता के रूप में, 07 रु. एशियाई विकास बैंक से ऋण सहायता के रूप में, 03 रु. विश्व बैंक से ऋण सहायता के रूप में तथा 05 रु. प्रशासनिक कार्यों के लिए निधि के रूप में जारी किये गये हैं।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के द्वितीय चरण में निधि के रूप में राज्यों को जारी की गई राशि के प्रत्येक 100 रु. में से 80 रु. बजट में प्रावधान करके, 10.50 रू. एशियाई विकास बैंक से ऋण सहायता के रूप में प्राप्त करके 08.50 रु. विश्व बैंक से ऋण सहायता के रूप में प्राप्त करके तथा 01 रु. प्रशासनिक कार्यों के लिए निधि के रूप में जारी किये गये हैं।

Created by Universal Document Converter

- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तृतीय चरण में निधि के रूप में राज्यों को जारी की गई राशि के प्रत्येक 100 रु. में से 97 रु. बजट में प्रावधान के माध्यम से तथा शेष 03 रु. अन्य प्रकार से प्राप्त करके राज्यों को निधि के रूप में जारी किये गये हैं।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीनों चरणों में निधियों के रूप में राज्यों/ संघ राज्यों को जारी की गई राशि के प्रत्येक 100 रु. में से लगभग 80 रु. बजट में प्रावधान के माध्यम से, लगभग 02 रू. प्रशासनिक कार्यों के भुगतान हेतु, लगभग 18 रु. ऋण सहायता के रूप में (06 रु. नाबार्ड से, 06 रु. एशियाई विकास बैंक से, 06 रु. विश्व बैंक से) प्राप्त करके राज्यों को योजनान्तर्गत निधि के रूप में उपलब्ध कराये गये हैं।

7. संदर्भ सूची :

1. वार्षिक रिपोर्ट - 2024-25, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार
2. वार्षिक रिपोर्ट - 2024-25, राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार
3. आर्थिक विकास और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, डॉ. विजय कुमार दीक्षित, राधा पब्लिकेशन, नई दिल्ली
4. ग्रामीण विकास एवं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, डॉ. प्रीति जैन, सत्यम पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्युटर्स, जयपुर
5. www.pmgsy.online.nic.in
6. www.omms.nic.in

Created by Universal Document Converter